भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(प्रसारण एवं केबल सेवा विभाग)

आदेश

दिनांक: 9 अगस्त 2023

विषय: कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) को प्रसारित करने हेतु दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 के विनियमन 4ए के प्रावधानों के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को आदेश।

क्रमांक: आरजी-1/2/3 1/2021-बी और सीएस(2) जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ("प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित (इसे "ट्राई अधिनियम" के रूप में जाना जाता है।) को परस्पर दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने, सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी के नियमों और शर्तों को तय करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने, सेवा गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करने के लिए कुछ कार्यों का निर्वहन करने का काम सौंपा गया है, जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना, ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ।

2. और, केंद्र सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने अपनी अधिसूचना संख्या 39, (ए) के तहत उप-खंड (के) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है।

(ए) ट्राई अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया, और

(बी) अधिसूचना संख्या एस.ओ. के तहत प्रकाशित 44 (ई) दिनांक 9 जनवरी 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) -----

3. और जबकि प्राधिकरण ने एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए एक नया विनियामक ढांचा(फ्रेमवर्क) अधिसूचित किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(ए) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 दिनांक 03 मार्च 2017;

(बी) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 03 मार्च 2017; और

(सी) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 03 मार्च 2017;

4. और जबकि प्राधिकरण ने 11 जून, 2021 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 के रूप में संदर्भित) में संशोधन किया, जिससे विनियमन 4ए और अनुसूची IX शामिल किया गया जो परीक्षण और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (इसके बाद इसे "सीएएस" कहा जाएगा) और सब्सक्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम (इसके बाद इसे "एसएमएस" कहा जाएगा) प्रमाणीकरण का प्रावधान करता है;

5. और जबकि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 का विनियमन 4ए टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रावधान प्रदान करता है, और उक्त विनियमन के प्रासंगिक प्रावधान, परस्पर, इस प्रकार हैं:
"(1) टेलीविजन चैनल का प्रत्येक वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर), ऐसी तिथि से और ऐसे परीक्षण और प्रमाणीकरण के बाद, जैसा कि प्राधिकरण के आदेश के द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, ऐसी कन्डिशनल एक्सेस सिस्टम(सीएएस) और सब्स्क्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) प्रसारित करेगा जो अनुसूची IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो:

बशर्ते कि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट आदेश जारी होने की तिथि से पहले ही प्रसारित किए गए कन्डिशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मेनेजमेंट सिस्टम के लिए, प्राधिकरण एक अलग समयसीमा निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसी प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया जाएगा जैसा कि अनुसूची IX में निर्दिष्ट है।";

6. और जबकि प्राधिकरण ने दिनांक 20 सितंबर, 2021 के आदेश के अंतर्गत, अनुबंध-I के रूप में संलग्न करते हुए, दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (इसके बाद "टीईसी" के रूप में संदर्भित) को परस्पर, अधिसूचित करने और बनाए रखने के लिए एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में नामित किया है, इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 की अनुसूची-IX के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सीएएस और एसएमएस के लिए परीक्षण अनुसूचियां और जाँच प्रक्रियाएं, मान्यता प्राप्त जाँच प्रयोगशालाओं की सूची को सूचीबद्ध/घोषित करें जो परिभाषित परीक्षण अनुसूचियों और जाँच प्रक्रियाओं के अनुसार जाँच करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, और मान्यता प्राप्त जाँच प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित सभी उत्पादों के लिए प्रमाणन प्रदान किया जाए;

7. और जबकि टीईसी ने, दिनांक 20 सितंबर 2021 के आदेश के अनुसरण में, टेस्ट गाइड विकसित किए हैं, जो इसके साथ अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं, जिसमें सीएएस और एसएमएस की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए विस्तृत टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट प्रक्रिया की गणना की गई है, जैसा कि इंटरकनेक्शन की अनुसूची-IX में निर्दिष्ट है। विनियम 2017, और सीएएस और एसएमएस के प्रमाणीकरण के लिए एक प्रमाणन प्रक्रिया भी जारी की, जो अनुबंध-III के रूप में संलग्न है;

8. और जबकि टीईसी ने मेसर्स सल्का ग्लोबल टेक्नोलॉजीज(पी) लिमिटेड को अपने दिनांक 30 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से मान्यता दी है, जो अनुबंध-IV के साथ संलग्न है और मेसर्स अल्ट्राइस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 27 जुलाई, 2023 के माध्यम से, परीक्षण गाइड के अनुसार सीएएस और एसएमएस के परीक्षण के लिए अनुबंध-V के रूप में संलग्न किया है, और इस तरह के परीक्षण करने के लिए और अधिक परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया में है। ऐसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची टीईसी की वेबसाइट https://tec.gov.in/cas-sms-certification पर उपलब्ध है।

9. अब इसलिए, प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन, 2017 के विनियमन 4ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि, -

(i) दिनांक 01 मार्च 2024 को या उसके बाद, केवल ऐसे नए सीएएस और एसएमएस सिस्टम परिनियोजन किए जाएँ जिनका विधिवत मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किया गया है और टीईसी, या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 की अनुसूची-IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणित किया गया है; और

(ii) दिनांक 01 मार्च 2025 को या उससे पहले, सभी मौजूदा सीएएस और एसएमएस सिस्टम को विधिवत मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा अपग्रेड और परीक्षण किया जाए और इंटरकनेक्शन विनियमन 2017 की अनुसूची-IX में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप टीईसी या प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित हो ।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई

सेवा में,

1. सभी डीपीओ।
2. दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र, दूरसंचार विभाग।